


६



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-गुना R 6-PBZ/17

रहीस खॉ पुत्र श्री याकूब खॉ,
निवासी— वार्ड नं.11, जगदग्बा
कॉलोनी, आरोन, जिला गुना (म.प्र.)
— आवेदक

विरुद्ध

1—मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर,
जिला — गुना (म.प्र.)

2—पीतम पुत्र श्री दयाराम सहरिया,

3—कल्लू तुङ दरयाब सहरिया,

4—पहलवान श्री दयाराम सहरिया,

5—श्रीमती पुनिया बाई पत्नी श्री
दयाराम सहरिया,

6—नारायण पुत्र श्री कल्लू सहरिया,

7—डिरिचरण पुत्र श्री उमकार सहरिया,

8—रामवीर सिंह पुत्र श्री अज्ञात,

9—आनंद सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह,

10—भूरा पुत्र श्री फोदल सहरिया,

निवासीगण आरोन, तहसील आरोन,

जिला गुना (म.प्र.)

11. इसाम अहमद ११० ६९७१७ अहमद

८४१ - आरोन नं६१, गुना ३३१३०४

12.10.17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना आरोन, जिला गुना द्वारा प्रकरण
क्रमांक 22/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.12.2016 के
विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

मानक ग्रामीण लोकालय
क्षेत्रीकृति 12.10.17 द्वारा
निर्णयम् 12.10.17

2
12.10.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./6/पी.बी.आर./2017

जिला- गुना

रहीस खां विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---------------------|---|---|
| 17/5/19 | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। अनावेदक क्र. 1 शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 22/2016-17/अपील में परित आदेश दिनांक 16/12/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11/7/19 को कलेक्टर जिला गुना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> |  <p>(आर0के0 जैन) 11/7/19 सदस्य</p> |
| | | |